सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 250 राँची, सोमवार, 30 मई, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

अधिसूचना

तारीख:- 30 मई, 2022 / 9 ज्येष्ठ, 1944 (शक)

100/पूर्व अनु.-1/झार-वि.स./1/2022 :- **यतः** झारखण्ड राज्य की विधान सभा में **66-मान्डर (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बंधु तिर्की को जन प्रतिनिधित्व नियम, 1951 की धारा 8 तथा संविधान के अनुच्छेद-191 (1)(e) के प्रावधानों के तहत निरर्हित किये जाने के कारण दिनांक 28 मार्च, 2022 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. **यतः** इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. **अतः**, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा:-

(अ) झारखण्ड राज्य से उक्त **66-मान्डर (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार **28 जून, 2022 (मंगलवार)** से पूर्व राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले, एक व्यक्ति को, राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख :	06 जून, 2022 (सोमवार)
(ख)	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख :	07 जून, 2022 (मंगलवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख :	09 जून, 2022 (बृहस्पतिवार)
(घ)	वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा :	**23 जून, 2022 (बृहस्पतिवार)**
(ड.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा :	28 जून, 2022 (मंगलवार)

नियत करता है; और

(इ) 7:00 बजे पूर्वाहन से 4:00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से

(अरविन्द आनन्द)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

Election Commission of India

NOTIFICATION

Dated: 30th May, 2022 / 9 Jyaistha, 1944 (Saka)

No.100/ES-1/JKD-LA/1/2022:- **WHEREAS**, the seat of Shri Bandhu Tirkey, in the Legislative Assembly of the State of Jharkhand, elected from **66-Mandar (ST)** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **28th March, 2022** by reason of his becoming subject to disqualification under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 and Article 191 (1) (e) of the Constitution; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. **NOW, THEREFORE,** in pursuance of sub-section 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **calls upon** the said **66-Mandar (ST)** Assembly Constituency in the State of Jharkhand, to elect, before the **28th June, 2022 (Tuesday)** and in accordance with the provisions of the said Act and

of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Schedule Tribes of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **appoints**, with respect to the said election:-

a) the **06th June, 2022 (Monday)**, as the last date for making nominations;

b) the **07th June, 2022 (Tuesday)**, as the date for the scrutiny of nominations;

c) the **09th June, 2022 (Thursday),** as the last date for the withdrawal of candidatures;

d) the **23rd June, 2022 (Thursday),** as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

e) the **28th June, 2022 (Tuesday),** as the date before which the election shall be completed; **and**

(C) **Fixes the hours** from **7.00 A.M. to 4.00 P.M.** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

(ARVIND ANAND)

PRINCIPAL SECRETARY

ELECTION COMMISSION OF INDIA

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 250 -- 50